राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 2 ■ अंक 5 ■ अगस्त 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 28

परिसर-परिसर परिषद्

उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 गठन से पहले विचार मंथन आवश्यक 10

'NRC DRAFT SHOULD BE STRICTLY ADHERED' 14

बचपन का सौदा करती मिशनरी संस्था 16

परिसर-परिसर परिषद्

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में सेल्फी लेकर 'सेल्फी विद् कैंपस' अभियान की शुरुआत करते राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान

कोंकण प्रांत स्थित 1855 में स्थापित विधि महाविद्यालय में सेल्फी लेते कार्यकर्तागण

अरूणाचल प्रदेश के पोलो स्थित गर्वनमेंट हाईस्कूल में बारिश के दौरान सेल्फी लेते छात्र

पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में सेल्फी लेते विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्रीहरी बोरिकर, साथ में क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल व अन्य अभाविप कार्यकर्तागण

शिलांग, मेघालय में सेल्फी के दौरान प्रसन्न मुद्रा में कार्यकर्तागण

वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय,तिरूपति में कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. सुबैय्या

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 2, अंक 5
अगस्त, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 **भारत का एकीकरण और भविष्य की राह**
भारत एक राष्ट्र के रूप में अनंत काल से विद्यमान रहा है। अनंत काल से इसलिए क्योंकि तमाम आधुनिक यंत्रो एवं तंत्रो के बावजूद न तो इतिहासकार और न ही वैज्ञानिक ठीक...

संपादकीय	04
स्वतंत्र भारत और डा. आम्बेडकर की दृष्टि	07
गठन से पहले विचार मंथन आवश्यक	10
परिसर–परिसर परिषद्	13
NRC Draft should be strictly adhered : Ashish Chauhan	14
सामाजिक समरसता पर मंथन	15
बचपन का सौदा करती मिशनरी संस्था	16
Higher Education Commission of India (HECI) Bill is inappropriate and premature without declaration of National Education Policy: ABVP	18
आत्मीयता से अपना बनाने वाले दत्ताजी डिडोलकर	20
अभाविप के संघर्षों की हुई जीत, 22 साल बाद हरियाणा में होंगे छात्रसंघ चुनाव	21
अभाविप कार्यकर्ताओं पर केरल पुलिस ने बरसाई लाठियां, सैंकड़ों कार्यकर्ता घायल	22
पर्वतारोही शिवांगी पाठक को अभाविप ने किया सम्मानित	23
अभाविप के प्रयास का दिखा असर, जीएसटी मुक्त हुआ सेनेटरी नेपकिन	24
परिचर्चा	25

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

स्वतंत्रता का आठवां दशक। सात दशकों की यात्रा के लेखे-जोखे का अवसर। आने वाले दशकों के लिये योजनाओं का ताना-बाना। योजनाएं, जो स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान देखे गये सपनों को सात दशकों की प्रतीक्षा के बाद धरती पर उतार सकें। योजनाएं, जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार कर सकें। योजनाएं, जो 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में लिये संकल्पों को पूरा करने में समर्थ हों।

यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं। केवल सत्ता की तो बिल्कुल भी नहीं। देश के हर नागरिक को कंधे-से-कंधा मिला कर आगे बढ़ना होगा। देश के युवाओं को देश के पुनर्निर्माण में जुट जाना होगा। राष्ट्र की एकता-एकात्मता को सुदृढ़ करने का दायित्व एक ओर तो विश्वमालिका में भारत को उसका सुयोग्य स्थान दिलाने की चुनौती दूसरी ओर। इस पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ।

अभाविप की विकास यात्रा स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा के साथ-साथ चली है। सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी युवा शक्ति के हौंसले के बल पर भारत कदम-दर-कदम आगे बढ़ता गया। परिषद ने भी कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

चुनौतियों के चेहरे बदलते गये, और बदलते गये संघर्ष के तरीके भी, और आह्वान भी। भारतीयकरण उद्योग, छात्र शक्ति- राष्ट्रशक्ति, आज का छात्र-आज का नागरिक, गांव-गांव जायेंगे-भारत भव्य बनायेंगे, कश्मीर हो या गोहाटी-अपना देश अपनी माटी, छात्र उठा है अब ललकार-अब न सहेगा भ्रष्टाचार आदि परिषद के नारे ही नहीं, परिषद की विकास यात्रा के मील पत्थर भी हैं। इनसे गुजरते हुए ही आज संगठन न केवल व्यापक हुआ है अपितु नये-नये आयामों का विस्तार कर नये क्षितिज का स्पर्श कर रहा है।

हमने हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया। मूल्यों पर समझौता नहीं किया। विज्ञान के चमत्कार और सूचनाओं का विस्फोट हमें ह्रदय से ह्रदय को जोड़ने अभियान से विलग न कर सका। 'सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है – यदि नैतिक आधार नहीं है' का गीत गाते हुए हम आज 'सेल्फी विद कैंपस' तक पहुंचे हैं। देश का कोई भी विषय हमारे लिये अविषय नहीं है, यह मानते हुए भी हमने परिसरों में अपनी उपस्थिति बनाये रखी है। इसका परिणाम भी देश में दिखायी दे रहा है, किन्तु अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और ठहर जाने का समय नहीं है।

आज देश में राष्ट्रीय विचार सशक्त हो कर उभरा है, इसमें परिषद कार्यकर्ताओं की उन अनाम पीढ़ियों का परिश्रम और पुरुषार्थ भी जुड़ा है जिन्होंने अपने लिये कुछ न चाहते हुए भी अपना सर्वश्रेष्ठ भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह स्मरणयोग्य है कि जिन राष्ट्रविरोधी शक्तियों से हमारा वैचारिक संघर्ष है वे पराजित अवश्य हुई हैं परन्तु समाप्त नहीं। यही नहीं, उनका एक विषाक्त गठजोड़ पूरे भारत में तैयार हुआ है जिसे सीमा पार से भी सहायता मिल रही है। इसलिये वैचारिक स्तर पर एक निरंतर चुनौती हमारे सामने है जो हमारे ज्ञान, समर्पण और आत्मबल की परीक्षा लेगी।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना सहित,

भवदीय

संपादक

भारत का एकीकरण और भविष्य की राह

| प्रदीप शर्मा |

भारत एक राष्ट्र के रूप में अनंत काल से विद्यमान रहा है। अनंत काल से इसलिए क्योंकि तमाम आधुनिक यंत्रो एवं तंत्रो के बावजूद न तो इतिहासकार और न ही वैज्ञानिक ठीक - ठीक बता सकते हैं कि मानव समाज ने कब से राज्यों और राष्ट्रों की परिकल्पना की और कब से उसे साकार करना शुरू किया। इस प्रकट सत्य से विपरीत कुछ बुद्धिजीवी अपने कुतर्कों के सहारे कोई और बात करते हैं लेकिन उसे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए दो मापदंड होने चाहिए, एक यह कि उस भूखंड के लोग अपने आप को क्या मानते है, और दूसरा तमाम विश्व उस भूखंड को क्या मानता है, किस नाम से जानता है और अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी लगभग यही मापदंड अपनाये जाते हैं।।

"भारत वर्ष " इन दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरता है। ज्ञात इतिहास की शुरुआत से 19 वीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप के लोग अपने आप को एक संस्कृति का हिस्सा मानते थे, एक सी पूजा पद्धति का पालन करते थे। एक से नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते थे। संपूर्ण उपमहाद्वीप में लोगों के गांव अलग-अलग थे, वैसे ही उनके राज्य अलग-अलग थे, भाषा अलग थी परन्तु राष्ट्र के रूप में वे सभी अपने आप को भारतीय ही मानते थे। इस भारतीय उपमहाद्वीप के परे जो भी विश्व था वो भी इस देश को, समाज को एक ही मानता था। यूनान का एलेग्जेंडर पर्शिया के बाद भारत जीतने निकला था न कि किसी राज्य को। वहां के विद्वान् अरस्तु ने उसे भारत (इंडस) से दर्शनशास्त्री लाने को कहा था। रोम का व्यापार भारत से होता था न कि किसी राज्य से... और इस व्यापार के बिचौलिए 'अरबी' भारत से वस्तुएं ले जाकर रोम और तमाम विश्व में बेचा करते थे न कि किसी शहर अथवा राज्य से। रामायण और महाभारत काल में भी राष्ट्र एक ही था "भारत"। चन्द्रगुप्त , अशोक, ललितादित्य इन्होने भारत पर शासन किया न

कि किसी राज्य विशेष पर। जब इस भूखंड के दुर्दिनों की शुरुआत हुई और आक्रांता आने लगे तब वे भी 'भारत' या हिन्द पर आक्रमण करके लूटने आते थे न कि किसी राज्य विशेष पर। मुगलिया गुलामी में भी राष्ट्र एक ही था भारत या हिन्द या हिन्दुस्तान। जब पुर्तगाली नाविक वास्को- दा -गामा पुर्तगाल से जहाज लेकर निकला तो वो किसी राज्य के लिए नहीं निकला था बल्कि भारत आने के लिए निकला था। अंग्रेज़ों के काल में भी ये देश एक ही था " भारत, हिंदुस्तान या इंडिया" लेकिन फिरंगी अंग्रेज़ों ने बड़ी सफाई से और कुटिलता से इस देश को टुकड़ो में तोड़ना शुरू किया। क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंगो के आधार पर, भौगोलिक भिन्नता के आधार पर, धर्म परिवर्तन के कारण बदली हुई पूजा पद्धति के आधार पर उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि तुम अलग हो।

दुर्भाग्य ऐसा कि हज़ारों-हज़ार साल से जो समाज भारतीय नाम से सम्बोधित था, जिनके पुरखे अपने आप को भारतीय मानते थे वे फिरंगियों के बहकावे में आकर अपने आप को अलग मानने लगे। और इस तरह कुटिल अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए पहले अफ़ग़ानिस्तान बनाया, फिर श्री लंका, भूटान 1935 में म्यांमार को अलग किया और आखरी बार 1947 में पाकिस्तान बनाकर किया। वैसे तो उनका षडयंत्र इस भारत को और टुकड़ों में तोड़ने का था और इसीलिए 1947 में उन्होंने रजवाड़ों को सीधे-सीधे भारतीय गणतंत्र में शामिल न होने देकर एक नया शिगूफा फेंका और वो था रजवाड़ों को भारत अथवा नवनिर्मित पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करने की स्वतंत्रता देकर। यहां ये न मानने का कोई भी कारण नज़र नहीं आता कि ऐसा करके वे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थाई अराजकता, अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते थे क्योंकि रजवाड़ों अथवा रियासतों की कुल संख्या लगभग 600 थी। इसे ईश्वर की अनुकम्पा ही मानेंगे कि हज़ार सालों की दासता और अंग - भंग के चलते भारत कमज़ोर तो हो गया था लेकिन मर्माहत न था। उसका मस्तिष्क अभी भी सक्रिय था। उसकी आत्मा मलीन न हुयी थी। शायद इसी वजह से उस समय के नेतृत्व को सदबुद्धि आई और उन्होंने इन रजवाड़ो को भारत संघ में मिलाने का महती कार्य शुरू किया जो कि आसान न था। हज़ार सालों की गुलामी, धर्म परिवर्तन, स्वार्थ, क्षुद्र बुद्धि और फिरंगियों के किये हुए षड़यंत्र बहुत गहरे थे जिसमें कुछ तथाकथित भारतीय भी साथ दे रहे थे और आज तक साथ दे रहे हैं।

भारत के एकीकरण की यह प्रक्रिया तमाम अवरोधों के बावजूद भी शुरू हुई और उसमे आशातित सफलता भी मिली। 1947 में भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से भौतिक तौर पर, राजनैतिक स्तर पर भले ही मुक्त हुआ था, पर भारत को अपने अतीत के वैभव और गौरव को पाने के लिए अभी बहुत कुछ करना था। रजवाड़ों को भारत में मिलाना उसका एक कदम था।

विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेज़ों द्वारा विखंडित भारत की एकीकरण की प्रक्रिया 25 जुलाई 1947 को शुरू होती है जब "चैम्बर ऑफ़ प्रिंसेस" में बहुत से राजाओं ने भारत में अपने आप को विलीन कर लिया। पहले भी वो भारत ही थे किन्तु उन्होंने बस अंग्रेजी सम्मोहन तोड़ा था। कुछ राजाओं ने अगस्त 1947 में, कुछ ने अक्टूबर 1947 में भारत में अधिमिलन किया। बस्तर 1948 में भारत संघ राज्य में शामिल हुआ। पॉन्डिचेरी ने 1954 में फ्रांसीसी बेड़िया तोड़कर अपने आपको भारत घोषित किया। गोवा ने अपने अतीत से मिलने के लिए, अपनी असली पहचान पाने के लिए लम्बा संघर्ष किया और दिसंबर 1961 में भारत का ये अंग भारत हो पाया। सिक्किम तो 1975 में अपने आप को भारत कहला पाया। ये उदाहरण है भारत के फिर से भारत बनने की दिशा में उठाये गए कदमो के। परन्तु ये यात्रा की शुरुआत है समाप्ति नहीं।

प्रश्न ये है कि क्या भारत फिर से प्रागैतिहासिक 'भारत' बन पाया है , क्या भारत उस भौगोलिक, राजनैतिक, बौद्धिक ऊंचाई को प्राप्त कर पाया है, क्या ये भारत विष्णुगुप्त के मापदंडों पर खरा उतर पाया है। उत्तर है "नहीं"। परन्तु प्रयास जारी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 भी भारतीयों से ये अपेक्षा रखता है कि वे वो हर संभव प्रयास करें जिससे भारत के अंग उससे पुनः जुड़ पाएं। भारत की एक पहचान बन पाए। उपमहाद्वीप का हर व्यक्ति अपने भारतीय होने पर गर्व करे, अपने निम्न स्तर की छवि को तोड़ कर अपने विराट स्वरुप को पहचाने। विदेशी षड्यंत्र और देशघातियों को पहचाने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे क्योंकि यही हर भारतीय का कर्त्तव्य भी है और उसकी नियति भी। ■

(लेखक अलायन्स विश्वविश्वविद्यालय, अनेकल बेंगलुरू में सहायक प्राध्यापक हैं।)

स्वतंत्र भारत और डा. आम्बेडकर की दृष्टि

|चन्दन आनन्द|

प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते है। सबको ज्ञात है कि इस दिन 1947 में भारत विदेशी अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ था। तकरीबन 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत के करीब 60 प्रतिशत हिस्से में शासन किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश में लम्बे संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजी शासन से पूर्व भी भारत ने लम्बे समय तक विदेशी आक्रमणों को झेला और उसके विरुद्ध निरंतर संघर्षरत रहा। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हर लिहाज से समृद्ध और सक्षम होने के बावजूद क्यों भारत बार-बार परतंत्र रहा और विदेशी शासनों को झेलता रहा? यदि इसके कारणों पर नजर डालें तो एक प्रमुख कारण है समाज में एकता, समानता और बंधुता का अभाव होना एवं समाज का राष्ट्र की एकता और अखण्डता के प्रति सजग न होना। यही कारण रहा कि विदेशी शासक समय-समय पर आसानी से हमारे पर राज कर सके।

स्वतंत्रता बिना त्याग नहीं मिलती और त्याग भी केवल एक तरह का नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार ही बलिदान का स्वरूप भी बदलता है। जैसी परतंत्रता होती है वैसे ही बलिदान की आवश्यकता होती है। इस संघर्ष में अनेकों महापुरुषों ने त्याग और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया और भारत की अजेय संस्कृति और धर्म को जीवित रखा। यह सभी महापुरुष देश और समाज को संगठित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। मुगल काल में भी उत्तर भारत में गुरु गोविन्द सिंह, पश्चिम में महाराणा प्रताप, दक्षिण में शिवाजी महाराज और पूर्व में असम के अहोम सेनापति लाचित बड़फूकन सरीखे महापुरुषों और योद्धाओं ने मुगलों को धूल चटाने का काम किया।

तत्पश्चात भी समाज के संगठित और जागृत न होने की वजह से भारत कई बार बाहरी आक्रमण का सामना करने में विफल रहा और पूनः गुलामी के गर्क में गया।

अंग्रेजी शासन इसका ही ताजा उदाहरण है। असंगठित समाज को पुनः कई प्रकार से खंडित कर अंग्रेजों के लिए यहां शासन करना आसान हो गया। अंग्रेजी शासन के इस लम्बे काल में भी अनेकों महापुरुषों ने सतत संघर्ष कर भारत को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ी। इसमें हर प्रकार के महापुरुष, क्रांतिकारी, नेता और योद्धा मौजूद थे। इन सबके संघर्ष और बलिदान का तरीका भी भिन्न था और सबकी उतनी ही महत्ता थी। किसी ने युवाओं को संगठित कर सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया, कई क्रांतिकारियों ने सामने से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ अपना बलिदान दिया और कईयों ने राजनीति के माध्यम से विदेशी शासन को घेरने का प्रयास किया।

सुभाषचन्द्र बोस, वीर सावरकर, महर्षि अरविंद, बिरसा मुंडा, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, डा. भीमराव रामजी आम्बेडकर, लाला लाजपत राय, आदि कईं नाम इस स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रमुख हैं। इन सब महापुरुषों के स्वतंत्रता के लिए योगदान और बलिदान लगभग हमें पता है। केवल इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके योगदान की चर्चा बहुत कम या न के बराबर हमें सुनने को मिलती है, वह हैं डा. आम्बेडकर! डा. आम्बेडकर की लड़ाई अन्य सबसे हट कर थी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण थी। वह जिस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वह केवल भारत को बाहरी शासन से मुक्त कराने की नहीं थी। अपितु भारतीय समाज के भीतर पनप रहे उस विभेद का नाश करने के लिए थी, जिसके कारण भारत लगभग हजार वर्ष तक बार-बार परतंत्र हो रहा था।

डा. आम्बेडकर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अनोखा योगदान दिया। जिस योगदान पर बहुत से लोग उस समय विचार नहीं कर रहे थे। वह केवल भारत की अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपितु उस पराधीनता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे जिसके कारण भारत बार-बार दासता झेलता रहा। भारतीय समाज ने जाति के नाम पर भेदभाव और अपने ही समाज के एक बड़े वर्ग को वंचित रखने का बड़ा अपराध लम्बे समय तक किया।

भारत में लम्बे समय के विदेशी शासन और कुछ समाज की अपनी अज्ञानता के कारण कई विकृतियां समाज में आई। इनमें सबसे प्रमुख थी जाति के नाम पर समाज में विभेद। इस जातीय विभेद ने न केवल अपने ही समाज के एक वर्ग के साथ लम्बे समय तक अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि देश को परतंत्र रखने में भी इसकी अहम भूमिका रही। डा. भीमराव आम्बेडकर भी इसी वंचित और शोषित वर्ग से आते थे जिसे लम्बे समय तक जाति के नाम पर यातनाएं सहनी पड़ीं। इन सब प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों और नेताओं में डा. आम्बेडकर सबसे ज्यादा शिक्षित थे। जिन्होंने धन के अभाव में भी केवल अपनी योग्यता के आधार पर उस समय दो डॉक्टरेट डिग्री हासिल की और उन सभी कारणों पर गहन चिंतन और शोध किया जो भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने का माध्यम बन रही थीं।

स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही, जिसको ठीक तरीके से पहचाना नहीं गया। कोलम्बिया और ब्रिटेन में अपने शोध और शिक्षा से उन्होंने अंग्रेजी शासन को लताड़ने और उसकी धोखाधड़ी को उजागर करने में कोई कमीं नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने शोधपत्रों और पीएचडी में मुख्य तौर से भारत में अंग्रेजी लूट को उजागर किया। अंग्रेजी शासन ने भारत को कैसे लूटा और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दुर्दशा की, इस पर डा. आम्बेडकर ने विस्तृत शोध कर अंग्रेजी शोषण को आईना दिखाने का काम किया। उनकी दूसरी पीएचडी डिग्री 8 साल तक केवल इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उसमें अंग्रेजी शासन की लूट को ठीक से दिखाया गया और उन पर अपने शोध में बदलाव करने के लिए 8 साल तक दबाव डाला गया।

इसके अलावा डा. आम्बेडकर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अनोखा योगदान दिया। जिस योगदान पर बहुत से लोग उस समय विचार नहीं कर रहे थे। वह केवल भारत की अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपितु उस पराधीनता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे जिसके कारण भारत बार-बार दासता झेलता रहा। भारतीय समाज ने जाति के नाम पर भेदभाव और अपने ही समाज के एक बड़े वर्ग को वंचित

रखने का बड़ा अपराध लम्बे समय तक किया। जिसका दंश समय-समय पर समाज और देश को झेलना भी पड़ा, परंतु फिर भी हम उससे कुछ सीख न पाए। डा. आम्बेडकर ने इस स्वतंत्रता की लड़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जितना कि देश की आजादी की लड़ाई में। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए डा. आम्बेडकर ने भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो अथवा महिला हो या पुरुष, सबके लिए समानता की व्यवस्था की।

देश और समाज की प्रगति के लिए सबको समान अवसर देने की व्यवस्था इस संविधान में दी गई। जिस समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का अभाव भारतीय समाज में लम्बे समय तक रहा, उसे संवैधानिक सुरक्षा डा. आम्बेडकर ने दी। संविधान सभा में अपने एक भाषण में डा. आम्बेडकर देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं और हमारा अपना संविधान होगा। पर ऐसा नहीं है कि हम कभी स्वतंत्र नहीं रहे। लम्बे काल तक भारत में स्वराज्य रहा परन्तु अपने ही लोगों के छल के कारण हमें बार-बार गुलामी के दिन देखने पड़े। वह कहते हैं मुझे डर है कि यदि इसी तरह हम आगे भी अपने लोगों का ही वहिष्कार करते रहे और समाज संगठित नहीं हुआ तो भारत को दोबारा गुलाम होने में समय नहीं लगेगा।

देश और समाज की प्रगति के लिए सबको समान अवसर देने की व्यवस्था इस संविधान में दी गई। जिस समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का अभाव भारतीय समाज में लम्बे समय तक रहा, उसे संवैधानिक सुरक्षा डा. आम्बेडकर ने दी। संविधान सभा में अपने एक भाषण में डा. आम्बेडकर देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं और हमारा अपना संविधान होगा। पर ऐसा नहीं है कि हम कभी स्वतंत्र नहीं रहे।

आज भारत का 71वां स्वतंत्र दिवस मनाते हुए हमें डा. आम्बेडकर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनकी चेतावनी को याद रखना चाहिए। आज बहुत सी शक्तियां पुनः भारत को तोड़ने में प्रयासरत है। उनकी इन योजनाओं को विफल करने के लिए डा. आम्बेडकर की बातों को हमें याद रखना चाहिए। समाज को संगठित कर जातीय विभेद का मूल से नाश करने की आवश्यकता है, ताकि यह स्वतंत्रता ऐसे ही बरकरार रहे।

डा. आम्बेडकर ने जिस भारत का सपना देखा और जैसा भारत बनाने के लिए प्रयासरत रहे, आज बहुत सी शक्तियां देश में उनके नाम पर उनके विचारों के बिलकुल विपरीत काम कर रही हैं। नाम डा. आम्बेडकर का लिया जा रहा है, परन्तु कार्यशैली और विचार बिल्कुल विपरीत है। हाल ही में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव की घटना पर यदि हम नजर दौड़ाएं तो वह इसका सटीक उदाहरण है। डा. आम्बेडकर स्वयं भीमा कोरेगांव अपने जीवन काल में एक बार गए थे। वहां जाकर डा. आम्बेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना से महार जाति के लोगों के प्रवेश को बन्द कर दिया है। हमारी जाति योद्धाओं की जाति है और अंग्रेजों द्वारा महार रेजिमेंट को बंद करने का हमें विरोध करना चाहिए और ब्रिटिश शासन के इस शोषण के विरुद्ध लड़ना चाहिए।

जिस भीमा कोरेगांव की बरसी पर डा. आम्बेडकर ने अंग्रेजों और अंग्रेजी शासन को चुनौती देने का काम किया, जिस स्थान को उन्होंने अंग्रजों के विरुद्ध उपयोग किया, आज उनके नाम पर कुछ लोगों ने उस स्थान को भारत के विरोध और अंग्रेजों की जीत के जश्न के रूप में मनाया। उमर खालिद और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों ने वहां पहुंच कर डा. आम्बेडकर के विचारों के बिल्कुल विरुद्ध उस स्थान का उपयोग किया। भारत के निर्माण के लिए डा. आम्बेडकर ने निरंतर काम किया और देश की एकता और अखण्डता के लिए सतत प्रयास किए। आज दुर्भाग्यवश उन्हीं का नाम लेकर कुछ लोग उन्ही के विचार के विरुद्ध काम कर रहे हैं और भारत और समाज को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डा. आम्बेडकर के विचारों और सपनों का भारत बनाने के लिए इन सभी राष्ट्रविरोधी ताकतों को चुनौती देने की आज आवश्यकता है और उनकी विरासत को संजोए रखने के लिए समाज की एकता और समरसता पर बल देना होगा। ■

(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं।)

गठन से पहले विचार मंथन आवश्यक

उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह पर उच्च शिक्षा आयोग के गठन हेतु कानून लाने का फैसला किया है। उस कानून का ड्राफ्ट सरकार ने सुझावों हेतु जनता के सामने रखा है। 27 जून 2018 को प्रेस विज्ञप्ति में यह ड्राफ्ट भारत सरकार ने रखा। इस एक्ट के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट 1956 निरस्त हो जायेगा और उसका स्थान उच्च शिक्षा आयोग ले लेगा।

।मिलिंद मराठे।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह पर उच्च शिक्षा आयोग के गठन हेतु कानून लाने का फैसला किया है। उस कानून का ड्राफ्ट सरकार ने सुझावों हेतु जनता के सामने रखा है। 27 जून 2018 को प्रेस विज्ञप्ति में यह ड्राफ्ट भारत सरकार ने रखा। इस एक्ट के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट 1956 निरस्त हो जायेगा और उसका स्थान उच्च शिक्षा आयोग ले लेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पूर्वपीठिका

1925 में उस समय अस्तित्व में रहे विश्वविद्यालयों के संचालन की जानकारी रखने और आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु Inter University Board (जो बाद में Association of Indian Universities, AIU में परिवर्तित हुआ) का गठन हुआ। सार्जंट रिपोर्ट के तहत 1944 में भारत में पहली बार उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ। 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Committee) का गठन हुआ और उस

समय के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली का काम उस कमेटी को सौंपा। 1947 में उस समय तक स्थापित सभी विश्वविद्यालय उस कमेटी के साथ जोड़ दिये गये। 1948 में स्वाधीनता के तुरंत पश्चात डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 'University Education Commission' का गठन हुआ। उस समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ब्रिटेन के University Grants Commission की तरह परिवर्तित करना चाहिए। 1952 में भारत सरकार ने Public fund से जो अनुदान सभी विश्वविद्यालयों को और उच्च शिक्षा के संस्थानों को दिया जाना है, उसको इस कमीशन से संदर्भित किया और 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्व. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का औपचारिक उदघाटन किया, लेकिन यह विधिवत नवंबर 1956 में एक Statuary body of GOI के नाते संसद के कानून के तहत स्थापित हुआ।

1956 में भारत में उच्च शिक्षा का फैलाव कम था, 1960-61 में मात्र 55 विश्वविद्यालय और 1542 महाविद्यालय यूजूसी के अंतर्गत थे। धीरे-धीरे वह फैलाव बढ़ गया किन्तु इस मात्रा में यूजीसी का ढांचा नहीं बढ़ा। उसमें बदलाव लाने की परिवर्तन लाने की बातें होती रहीं। आज यूजीसी के तहत 384 राज्य विश्वविद्यालय, 123 समकक्ष विश्वविद्यालय, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 296 निजी विश्वविद्यालय, ऐसे कुल 850 विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा का नियमन करने वाली संस्थाओं के बेहतर प्रशासन हेतु सरकार कुछ सुधार कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र –

1. विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना
2. विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करना और बनाए रखना
3. शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना
4. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा के विकास पर निगरानी और तदनुसार उसको अनुदान प्रदान करना
5. भारत सरकार, राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा के विविध संस्थानों में महत्वपूर्ण लिंक के नाते काम करना
6. उच्च शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना

1956 में भारत में उच्च शिक्षा का फैलाव कम था, 1960-61 में मात्र 55 विश्वविद्यालय और 1542 महाविद्यालय यूजूसी के अंतर्गत थे। धीरे-धीरे वह फैलाव बढ़ गया किन्तु इस मात्रा में यूजीसी का ढांचा नहीं बढ़ा। उसमें बदलाव लाने की परिवर्तन लाने की बातें होती रहीं। आज यूजीसी के तहत 384 राज्य विश्वविद्यालय, 123 समकक्ष विश्वविद्यालय, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 296 निजी विश्वविद्यालय, ऐसे कुल 850 विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा का नियमन करने वाली संस्थाओं के बेहतर प्रशासन हेतु सरकार कुछ सुधार कर रही है। नेट में सुधार, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विनियमन में सुधार और ऑनलाइन डिग्री के विनियमन, ऐसे कई सुधार हो रहे हैं।

28 दिसंबर 2002 को यूजीसी के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत के एक कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि UGC एक्ट 1956 को एक नया रूप देने के बारे में सोचना चाहिए जो 21वीं सदी की शिक्षा के आह्वानों को अच्छी तरह ले सके। उन्होंने यह भी कहा था कि यह आयोग मात्र अनुदान देने वाला नहीं है और न ही होना चाहिए, लेकिन उसके नाम से केवल अनुदान देना ही एकमात्र काम है, ऐसा झलकता है। अतः इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग (यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन) होना चाहिए।

नए कानून की विशेषताऐं –

1 स्वायत्तता को बढ़ावा, शिक्षा संस्थान के दैनंदिन प्रबंधन में न्यूनतम या शून्य हस्तक्षेप।

2 अनुदान का कार्य मंत्रालय करेगा और HECI मात्र अकादमिक मामलों पर ही ध्यान देगा।

3. इंस्पेक्टर राज का अंत

4. अकादमिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
5. अनुपालन कराने की ताकत जैसे अकादमिक गुणवत्ता का अनुपालन न करने पर ऐसे संस्थान बंद करने का अधिकार, बोगस और रद्दी संस्थानों को बंद करना और उन पर जुर्माना लगाने का अधिकार।

एक्ट के संबंध में विचारणीय बिन्दु –

1. अभाविप का सुविचारित मत है कि प्रस्तावित HECI (उच्च शिक्षा आयोग) का कानून जल्दबाजी में लाना गलत है। वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही यह उपविभाग (Sub-set) है जो शिक्षा प्रबंधन और नियामक संरचना का हिस्सा है अभाविप ने इस हेतु राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सुझाव दिया है जिसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक का एकात्म प्रबंधन अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा में हो रही देरी अत्यंत चिंताजनक है और इससे पहले ही यूजीसी जैसे आयोग को निरस्त करने का कानून आना असामायिक और अनुचित है।

> एक कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि UGC एक्ट 1956 को एक नया रूप देने के बारे में सोचना चाहिए जो 21वीं सदी की शिक्षा के आह्वानों को अच्छी तरह ले सके। उन्होंने यह भी कहा था कि यह आयोग मात्र अनुदान देने वाला नहीं है और न ही होना चाहिए, लेकिन उसके नाम से केवल अनुदान देना ही एकमात्र काम है, ऐसा झलकता है। अतः इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग (यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन) होना चाहिए।

2. यद्यपि किसी भी सुधार का अभाविप हमेशा स्वागत करती है लेकिन यूजीसी को निरस्त करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मात्र 10 दिन चर्चा के लिए देना और आनन-फानन में HECI एक्ट लाना ठीक नहीं है। विचार-मंथन और सुझावों के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। कानून का जो मसौदा भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है उसके कई बिंदुओं पर पुनर्विचार आवश्यक है।

3. निर्धारित प्रक्रिया से चयनित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा आयोग ने 12 अन्य सदस्य प्रस्तावित किए हैं लेकिन उसमें से मात्र चार शिक्षाविद होंगे बाकी अन्य सभी नौकरशाह पदेन होंगे और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। अभाविप इसका तीव्र विरोध करती है। शिक्षा के लिये बने इस उच्चस्तरीय आयोग में शिक्षाविदों का अल्पमत में होना पूरी तरह गलत है। आयोग के सदस्यों में प्राध्यापक, शिक्षाविद बहुमत में होने चाहिए तब जाकर नीति निर्धारण शिक्षा के हित में होगा। देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी सदस्य चुनते समय आवश्यक है।

search-cum-selection committee के अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी न होकर प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए जिससे नीति निर्धारण में राजकीय हस्तक्षेप न के बराबर हो या बहुत कम हो।

4. यूजीसी के Mandate का चौथा बिंदु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को अनुदान देना अब HECI से हटाया है। अनुदान देने के आयोग के अधिकार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए हैं। यह पूर्णतया गलत है। शिक्षा क्षेत्र पर सरकारी अंकुश बढ़ना पूर्णतया घातक है। शिक्षा क्षेत्र स्वायत्त, स्वतंत्र और सरकारी चंगुल से मुक्त होना अनिवार्य है। लेकिन अनुदान देने का अधिकार मंत्रालय को देना गलत है। वैसे भी रूसा (RUSA) के माध्यम से पहले ही अनुदान का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारें ही दे रही है अब HECI आने के बाद शिक्षा का पूर्ण अनुदान सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा।

5. प्रस्तावित HECI मात्र पारंपरिक विश्वविद्यालय एवम महाविद्यालय को ही नियंत्रित करता है। वास्तव में 12 वीं कक्षा के बाद शिक्षा देने वाले संस्थान इसकी परिधि में आने चाहिए। यानि सभी प्रकार के संस्थान जैसे विधि, वैद्यकीय, आयुर्वेदिक आदि संस्थान भी इसके अंतर्गत आने चाहिए।

नया कानून लाने के पीछे सरकार के इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन स्वायत्तता का अतिरिक्त आग्रह, अनुदान देने का सरकारीकरण, आयोग पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण और शिक्षाविदों की अनदेखी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट घोषित करने के पहले आनन-फानन में यह HECI एक्ट ड्राफ्ट लाना और ऐसे महत्वपूर्ण आयोग पर विचार मंथन, चर्चा के लिए कम समय देना निषेधार्थ है। ■

(लेखक शिक्षाविद हैं एवं पूर्व में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं।)

सेल्फी विद कैंपस अभियान ने बनाया कीर्तिमान

परिसर-परिसर परिषद्

परिषद के कार्यकर्ता गीत गाते रहे हैं – 'इतना आगे, इतना आगे, जिसका कोई छोर नहीं। जहां पूर्णता मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं'। संगठन कार्य को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से अभाविप निरंतर नये-नये प्रयोग करती रही। इन प्रयोगों ने ही उसे देश और दुनियां के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित किया।

इस वर्ष सत्रारम्भ से ही अपने प्रसार के लिये संगठन ने योजना बनायी। इसके अंतर्गत 30 जुलाई से 5 अगस्त तक एक अभियान के रूप में देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सम्पर्क का सघन अभियान लिया गया। परिणामस्वरूप एक सप्ताह के अंदर ही 42 हजार से अधिक संस्थानों में पहुंचकर परिषद कार्यकर्ताओं ने अपने ही कीर्तिमान को तोड़ा है।

जानकारी हो कि 2017 में रांची में सम्पन्न अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस प्रकार का विचार किया गया था। देश में शिक्षा का विस्फोट हुआ है और बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान खुले हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन होने के बाद भी इनके बहुत छोटे हिस्से तक ही परिषद का सम्पर्क एवं प्रभाव था। इस अंतर को पाटने का विचार लेकर ही इस अभियान की संकल्पना की गयी और नाम दिया – "परिसर-परिसर परिषद" । इसका प्रमुख प्रतीक था "सेल्फी विद कैंपस", जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं को ऐसे सभी संस्थानों में, जहाँ तक वे कभी नहीं पहुंचे थे, जाना था और वहां के छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर और मित्रता कर उनके समूह के साथ सेल्फी लेनी थी। पूरा कार्यक्रम युवाओं की रुचि को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया था इसलिये इसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला।

इस सेल्फी को स्थानीय विद्यार्थियों के नाम के साथ एक ऐप पर अपलोड करना था जो कि अभियान के केन्द्रीय कार्यालय से नियंत्रित होता था। नयी पीढ़ी के युवाओं के लिये यह रोचक भी था और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी। इससे एक ओर संवाद का अवसर मिला वहीं कार्यविस्तार की संभावना भी बढ़ी। परिणाम का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि केवल छः कार्यशील दिवसों के अंदर ही परिषद के सम्पर्कित स्थानों की संख्या ढ़ाई गुनी से अधिक हो गयी। आंकड़ों के अनुसार इससे पूर्व यह संख्या देश में मौजूद कुल 1 लाख 65 हजार शिक्षा संस्थानों का केवल दस प्रतिशत ही थी।

पूरे अभियान में अनेक अनूठे उदाहरण सामने आये। करगिल, अंडमान दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली जैसे सुदूर स्थानों पर भी जहां सेल्फी विद कैंपस का अभियान पहुंचा वहीं कश्मीर जैसे अनेक स्थान, जहां कोई यह सहज विश्वास भी नहीं कर सकता वहां भी विद्यार्थियों ने सामने आकर परिषद कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी खिंचाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां प्रशासन भी जाने से झिझकता है वहां परिषद कार्यकर्ताओं ने ऐसे स्थानों पर जाकर सेल्फी भी ली और विद्यार्थियों से संवाद भी स्थापित किया।

कार्यकर्ताओं की रचनात्मकता को सामने आने का भी पूरा अवसर इस अभियान में था इसलिये उन्होंने नये प्रयोग भी जोड़े। मध्यभारत में जहां कार्यकर्ताओं ने इसमें पर्यावरण का पहलू भी जोड़ते हुए साइकिलों पर यात्रा की वहीं परिसरों में पौधारोपण के आयोजन भी किये गये। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंटीन में भी विद्यार्थियों के साथ सेल्फी लेकर इसे उत्सव का ही रूप दे दिया। स्वच्छ परिसर, हरित परिसर और नशामुक्त परिसर के आह्वान को विद्यार्थियों ही नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों का भी साथ मिला।

समूचा अभियान सामूहिक प्रयास का सफल उदाहरण है जिसमें एक ओर ऐप के डिजाइन और संचालन जैसे तकनीकी पक्ष थे वहीं दूसरी ओर अपरिचित जगहों पर नये-नये संस्थानों में जाकर संवाद स्थापित करने की चुनौती थी। परिषद कार्यकर्ता दोनों ही चुनौतियों में खरे उतरे हैं। एक लंबी छलांग लगायी है लेकिन इससे भी बड़ी छलांग की तैयारी करनी है।

जिस ऐप पर यह फोटो अपलोड किये जा रहे थे वह इस गति से संभालने में सक्षम नहीं था इसलिये पूरा डाटा अपलोड होने में काफी समय लगा किन्तु इस बीच भी ऐप चार दिनों तक टॉप टेन में बना रहा और एक दिन तो वह देश में दूसरे नंबर तक भी पहुंचा। इस नाते यह अभियान ग्रामीण क्षेत्र के किशोर छात्रों को भी सोशल मीडिया से जोड़ने के प्रशिक्षण के मंच के रूप में भी श्रेय पाने का अधिकार रखता है। ■

NRC Draft should be strictly adhered : Ashish Chauhan

ABVP welcomes and applauds the determination of the Assam Government, NRC Bureaucracy, and the Narendra Modi led Central Government for adhering to the Supreme Court directed timeline for release of the NRC Data after a meticulous, comprehensive and rigorous process. The non-inclusion of 40 Lakhs people from the provisional data reflects and affirms the gravity of the illegal immigrant crisis in Assam. It reflects the pain, gravity and agony of the people of Assam who have suffered from this crisis.

Ashish Chauhan,The National General Secretary of ABVP had launched a number of campaigns to build movement and sensitize people across India with regard to gravity of the crisis/external aggression by the illegal immigrants of Bangladesh.He says that ABVP has always advocated the policy of 'detect, delete, deport' with regard to them. The concern of the minority communities from the Bangladesh is being addressed by the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 being proposed by the Central Government, as it is of utmost importance to differentiate between illegal immigrants and genuine refugees. These genuine refugees (Hindus and others) who are persecuted minorities of Bangladesh and Pakistan should be granted Indian Citizenship according to due procedure.

This is in consonance with the Assam Accord, the Supreme Court's order in the Sarbananda Sonowal case and as per the procedure laid down by the Supreme Court for identification and preparation of the NRC. ABVP believe that the problem is so grave that the Supreme Court has identified it as an attack on India's sovereignty and amounts to external aggression. As the process is monitored and continues under the supervision of the Hon'ble Supreme Court, all of us must have faith in the constitutionality, proprietary and legitimacy of the exercise.

The narrow vote-bank politics by the political parties is condemnable, dangerous and a matter of concern for the unity and Integrity of India. ABVP request them to stop supporting illegal immigrants on the pretext of being a probable vote-bank and in the larger interest of the nation and demands that the timeline for the process should be strictly adhered and the Citizenship(Amendment) Bill, 2016 is enacted. ■

सामाजिक समरसता पर मंथन

भोपाल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में अभाविप ने लिया समरस समाज बनाने का संकल्प

समरस समाज के बिना कोई भी राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। समरसता भारत की विरासत है परंतु कालांतर में कतिपय लोगों के द्वारा हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया। जो हिंदू धर्म जीव मात्र के प्रति दया एवं करूणा का भाव रखता है वह अपने ही संतानों के प्रति भेदभाव कैसे कर सकता है? हमारी सामाजिक बंधुता को तोड़ने का काम विदेशी आंक्रांताओं के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने जाति के आधार पर समाज को बांटने का कार्य किया, उन्होंने लाभ - हानि को भी जातिगत आधार पर देने का काम शुरू किया, बाद मे देश की जनगणना भी जाति के आधार पर किया और इसी आधार पर वे राज कर पाये। समाज के विघटनकारी ताकतों के द्वारा जिस मनुस्मृति का हवाला देकर समाज में भ्रांति फैलाकर जातिगत आग

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन करते मा.च.रा. पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश उपासने, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व अन्य

सुलगाई जाती है, उस मनुस्मृति की कोई प्रमाणिकता नहीं है। हमारे वेदों एवं उपनिषदों में जीवों के प्रति दया, जन कल्याण और विश्व को परिवार मानने की बात कही गई है ऐसे में हमारा धर्म जातिगत रूप में विभाजित कैसे हो सकता है? हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए सुनियोजित तरीके से हमें बांटने का प्रयास किया गया, इन विघटनकारी ताकतों से हमें बचकर रहना होगा। ये बातें अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. आनंद पालिवाल ने भोपाल में आयोजित दो दिवसीय सामाजिक समरसता कार्यशाला में कहीं।

वहीं डॉ. मुरली मनोहर ने कहा कि परिषद् के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जातिवादी नहीं अपितु राष्ट्रीय एकता के ध्वज वाहक हैं। परिषद् में कार्य एवं कार्यकर्ता का आधार जातिगत नहीं बल्कि सर्वस्पर्शी सोच पर आधारित है। जबकि बिहारीलाल मीणा ने कहा कि दुर्भाग्य से लोगों ने वेदों एवं उपनिषदों को देखने के बजाय स्मृतियों के आधार पर समाज को देखने की कोशिश की।

सूचना क्रांति ने मीडिया के स्वरूप को बदला : जगदीश उपासने

कार्यशाला के दूसरे दिन मीडिया - सोशल मीडिया विषय पर अपने संबोधन में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश उपासने ने कहा कि मीडिया का सामाजिक विषयों पर रूख उनके आर्थिक हितों पर निर्भर करती है, अब यह प्रेस नहीं उद्योग है। आज जीडीपी में 1.5 प्रतिशत मीडिया का सहभाग है। सूचना क्रांति ने मीडिया के स्वरूप को बदला है। आज ग्रामीण इलाकों के युवक भी इंटरनेट का उपयोग धड़ल्ले से कर रहा है। मीडिया हाऊस की नीति समाचार देने की होती है लेकिन कुछ मीडियाकर्मी एजेंडा तय कर खबरों को परोसते हैं जो सर्वथा अनुचित है। पत्रकारों का किसी विचारधारा से संबंध होना गलत बात नहीं है बल्कि विचारधारा से प्रवाहित होकर खबरों को उसी अनुरूप प्रस्तुत करना गलता है...इस समस्या के समाधाने के जवाब में उन्होंने कहा कि समाज अगर प्रतिक्रिया देगा तो मीडिया भी गलती नहीं करेगा।

कार्याशाला के आखिरी दिन में समापन सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि आज के युग में भारत और भारतीयता को नुकसान करना किसी के लिए संभव नहीं क्योंकि अब हर जगह अभाविप है। भोपाल में 11 - 12 जुलाई को आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला में कई अभाविप पदाधिकारी, बद्धिजीवी समेत देश भर के अभाविप कार्यकर्ता मौजूद थे। ■

बचपन का सौदा करती मिशनरी संस्था

| निखिल रंजन |

मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त, 1910 को मैसीडोनिया के 'स्कोप्य' नगर में एक अल्बेनियन दंपती के घर में हुआ था। उस बच्ची का नाम 'एग्नेस गोनक्शा बोजाक्शिहउ' (बोजाक्सिया) रखा गया, जो उनका वास्तविक नाम है।

करुणा, दया व सेवा की प्रतिमूर्ति सेंट(संत) मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संचालित 'निर्मल हृदय' आश्रम से बच्चों की बिक्री का मामला 11 जुलाई को झारखंड के कांटा टोली और कोकर नाम के दो स्थानों से प्रकाश में आया। बच्चे मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय केंद्र में रहते थे। सीडब्लूसी को पूरे झारखंड में 280 बच्चे बेचे जाने की जानकारी मिली थी, जिसकी जांच चल रही है। बच्चों की तस्करी के मामले के अलावा मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी पर पिछले 10 सालों में 9.27 करोड़ के विदेशी फंड का दुरूपयोग करने के भी आरोप हैं। राज्य के डीजीपी ने इस बाबत केंद्र के गृह सचिव को भी पत्र लिखा है।

खूंटी के कोचांग में पांच युवतियों से गैंगरेप में मिशनरी स्कूल के फादर अल्फोंस आईंद की गिरफ्तारी और अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बच्चों का बेचा जाना। सीबीसीआई को भारत में कैथोलिक चर्च का चेहरा माना जाता है जो गैर-धार्मिक मसलों में भी दखल रखती है। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत में कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया को बिशप्स का कॉन्फ्रेंस माना जाता है, मगर सीबीसीआई का धर्म के अतिरिक्त अन्य मुद्दों में भी दखल रहा है।

सिस्टर कोनसिलिया पर वहीं की एक कर्मचारी अनिमा इंदवार के साथ मिलकर चार बच्चों को बेचने का आरोप है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि दोनों ने मिलकर इसी वर्ष चार बच्चों को बेचा है। दोनों फिलहाल जेल में है। पूछताछ में सिस्टर कोनसिलिया ने स्वीकार किया था कि उसने दो बच्चों को 50-50 हजार रुपए में और एक को 1.20 लाख

रुपए में बेचा। एक बच्चे को सिमडेगा के दंपती को बिना पैसे लिए दे दिया था। 1.48 लाख रुपए भी बरामद हुए, जो बच्चा बेचने के एवज में मिले थे।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी की निर्मल ह्रदय संस्था से बीते 16 महीनों में 58 बच्चे गायब हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा 29 जून को निर्मल ह्रदय से जब्त किए गए रजिस्टर के अनुसार मार्च 2016 से जून 2018 के बीच 110 बच्चों का जन्म हुआ। इसमें सीडब्ल्यूसी को महज 52 बच्चों की ही जानकारी दी गई। रिकॉर्ड के अनुसार 58 बच्चे गायब हैं। निर्मल ह्रदय से बेची गई चारों बच्चियों को कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है। एक साल की बच्ची को सिमडेगा की शैलजा तिर्की को बेचा गया था। पुलिस के मुताबिक शैलजा ने अनिमा इंदवार को 50 हजार रुपए दिए थे। हालांकि गिरफ्तारी के समय अनिमा व सिस्टर कोनसिलिया ने पैसे लेने की बात से इनकार किया था।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी की निर्मल ह्रदय संस्था से बीते 16 महीनों में 58 बच्चे गायब हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा 29 जून को निर्मल ह्रदय से जब्त किए गए रजिस्टर के अनुसार मार्च 2016 से जून 2018 के बीच 110 बच्चों का जन्म हुआ। इसमें सीडब्ल्यूसी को महज 52 बच्चों की ही जानकारी दी गई। रिकॉर्ड के अनुसार 58 बच्चे गायब हैं। निर्मल ह्रदय से बेची गई चारों बच्चियों को कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है।

सीडब्लूसी ने एक अविवाहित पीड़िता को निर्मल ह्रदय संस्था को अपनी निगरानी में सौपा, जो मां बनने वाली थी। जब पीड़िता की डिलिवरी का समय आया तो उसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान संस्था की एक सिस्टर अनिमा इंदवार साथ थी। पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया। जब बच्चा एक माह का हो गया तो इस संस्था वालों ने मोटी रकम (1.20 लाख) लेकर उत्तर प्रदेश के ओबरा निवासी सौरभ कुमार अग्रवाल एवं उनकी पत्नी प्रीति अग्रवाल को बेच दिया।

दो महीने बीत जाने पर जब सीडब्लूसी ने संस्था पर दबाव डाला तो संस्था ने सौरभ अग्रवाल से बच्चे को कोर्ट में पेश करने के नाम पर रांची मंगवा लिया। इस दौरान श्री अग्रवाल और उनकी पत्नी बच्चे के साथ थे। जब कोर्ट में दोनों पहुंचे तो संस्था की अनिमा इंदवार उनके साथ थी और कोर्ट में पेश करने के नाम पर बच्चे को लेकर फरार हो गयी। बाद में अनिमा को गिरफ्तार किया गया।

सीडब्लूसी की अध्यक्ष ने जब कड़ाई से अनिमा के साथ पूछताछ शुरू की तो परत दर परत इस मामले से पर्दा उठता चला गया। अनिमा इंदवार ने कहा कि निर्मल ह्रदय की सिस्टर कौन्सिलीया के साथ मिलकर कई वर्षों से बच्चे बेचने का काम किया जा रहा था। मेरी निगरानी में चार बच्चों का सौदा किया गया है। उनमें तीन बच्चों को 50-50 हजार और एक बच्चे को 1.20 लाख रुपए में बेचा गया है। यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इस काले धंधे से जुड़े लोगों की पहुंच इतनी है कि बच्चों की खरीद-बिक्री के खेल पर हाथ डालने वाले सीडब्ल्यूसी के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह और सदस्य मु. अफजल को इन्होंने बर्खास्त करा दिया था। इन दोनों अधिकारियों पर छेड़छाड़ का आरोप मढ़कर सुनियोजित साजिश रचकर हटवा दिया गया था। मामला 2015 का है। अध्यक्ष और सदस्य डोरंडा स्थित शिशु भवन का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान उन्हें वहां घुसने से रोका गया था। जबरन जांच की बात कह घुसे तो छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बर्खास्त करा दिया गया। अब जब सरकार उक्त विषय पर जांच कर रही है तो विरोधी पक्ष के राजनेता इसे सरकार की राजनीति कह कर किसी धर्म विशेष का नाम लेकर सरकार की आलोचना करने में व्यस्त है बजाय इसके कि इनकी मंशा भी इस घटना की निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की होनी चाहिए। वर्तमान में चल रहे मिशनरीज संस्थाओं के द्वारा इंसानियत के साथ की जा रही छेड़-छाड़ हमारे समाज के लिए दुःखदायी होने के साथ-साथ हानिकारक भी है, जो इंसानियत को शर्मसार करती है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कुकर्मों में संलिप्त अपराधियों के प्रति न्यायिक व्यवस्था को कड़ी से कड़ी सजा का प्रबंध करना चाहिए। ■

(लेखक अभाविप बिहार - झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं।)

Higher Education Commission of India (HECI) Bill is inappropriate and premature without declaration of National Education Policy: ABVP

ABVP delegation with Union HRD Minister Prakash Javdekar

The Central Government has proposed a major restructure in the higher education sector through establishment of a Higher Education Commission of India (HECI) Bill replacing the University Grants Commission. ABVP expresses serious concerns on delay in declaring National Education Policy (NEP), without which any suggestion to repeal UGC is premature and unwarranted. Higher Education Commission of India (HECI) is a sub set of what ABVP had proposed to the MHRD in 2014 as National Education Commission.

The Higher Education Commission of India (HECI) is proposed to have 12 other members apart from the directly selected Chairperson and Vice Chairperson. Out of these 12 members, only 4 shall be academicians while the majority of them shall be bureaucrats and ex-officio members.

National General Secretary of ABVP Shri. Ashish Chauhan says that "ABVP strongly opposes this and demands that the committee should have more representation of academicians and educationists so that people who are well aware of the real situation on ground have a say in this crucial policy making. The Search-Cum-Selection Committee shouldn't be chaired by the Cabinet Secretary but instead by an eminent academician so that the political interference in the process is minimized. The Commission, being an all India body, should have adequate representation of various regions of the country. If only two educationists are selected to be its members, they may not be well aware of the difficulties in other regions. We suggest at least 6 eminent educationists from 6 regions (North, West, South, Central,

East & North-East) to be nominated as its members."

A national level delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad met with Union HRD minister Shri Prakash Javadekar on pertinent issues of delaying National Education Policy and education sector and submitted a detailed memorandum. The delegation expressed serious concern on the delay in drafting of the national education policy and demanded immediate declaration of the same. It also demanded that any major reform suggested for education should be tabled only after declaration of NEP. The minister assured the delegation that the National Education Policy will be finalized very soon and it will be a student centric policy, with an emphasis on quality research and innovation, job-oriented education and skill development. ABVP has demanded an increase in amount and number, timely disbursal and active grievance redressal of various scholarships and fellowships. It has demanded that the pre-matric and post-matric scholarships should be increased by three times of the meagre amount given today and demanded to ensure fair mechanism in distribution of scholarships. A separate cell should be established and Scholarship tracking platform should be made and students should be able to access status their scholarship in real time via a common website and a mobile application.

The minister assured the delegation of looking into their demands positively. The 14-member delegation consisted of National General Secretary Ashish Chauhan, All India State Universities Incharge Shreehari Borikar, National Secretaries Nidhi Tripathi, Rohit Mishra, Narendra Sapam, Bhupendra Nag, National Media Convener Saket Bahuguna, All India Central Universities Co-Convener Karan Palsania, State Universities Co-convener Rohin Rai, CWC members Monika Chaudhary, Gaurav Sundaram, Rahul Chaudhary, Delhi State Secretary Bharat Khatana and DUSU Secretary Mahamedha Nagar.

Non-NET fellowships should be increased with a clear policy on the basis of price hike and current needs. Non-NET fellowship which is currently limited to central universities and some state universities should be expanded to all state universities as well.

ABVP has also demanded that the central government should take effective steps for easy and affordable access to biodegradable sanitary napkins in all education institutes and install its vending machines.

The minister assured the delegation of looking into their demands positively. The 14-member delegation consisted of National General Secretary Ashish Chauhan, All India State Universities Incharge Shreehari Borikar, National Secretaries Nidhi Tripathi, Rohit Mishra, Narendra Sapam, Bhupendra Nag, National Media Convener Saket Bahuguna, All India Central Universities Co-Convener Karan Palsania, State Universities Co-convener Rohin Rai, CWC members Monika Chaudhary, Gaurav Sundaram, Rahul Chaudhary, Delhi State Secretary Bharat Khatana and DUSU Secretary Mahamedha Nagar. ■

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्मृति में पुस्तक लोकार्पित

आत्मीयता से अपना बनाने वाले दत्ताजी डिडोलकर

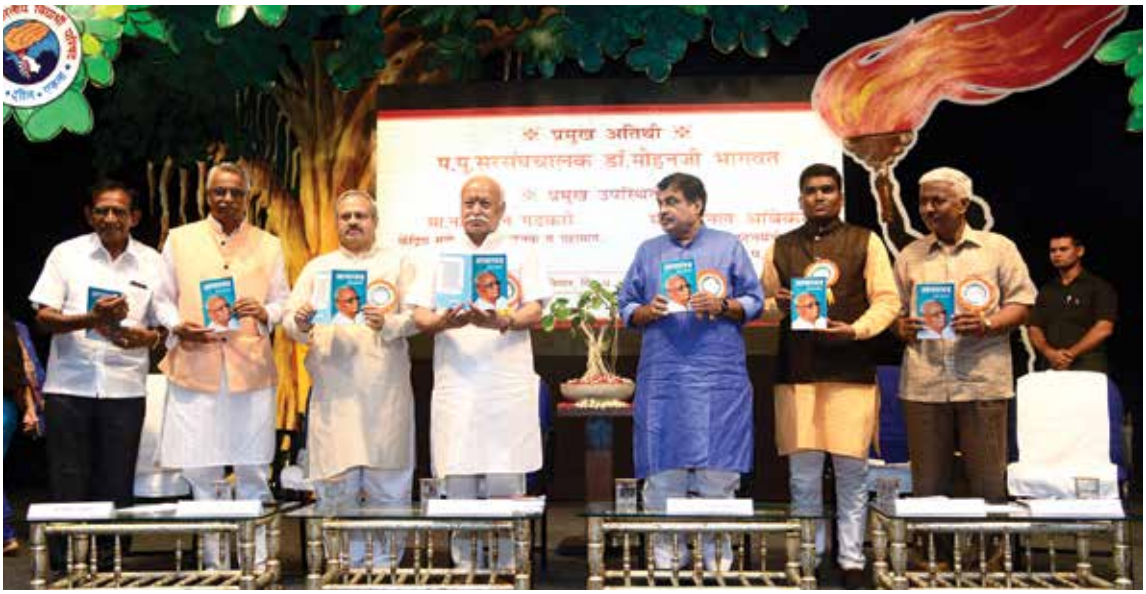

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दत्ताजी डिडोलकर की स्मृति में पुस्तक लोकार्पित करते रा.स्व.संघ के सर संचालक मोहन राव भागवत, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व अन्य

मनुष्य का जीवन अच्छा हो इसलिए मनुष्य का जीवन जिसने जी कर दिखाया है ऐसे लोगों के विचार का वर्णन समाज के सम्मुख आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तात्विक बातें चर्चा में हमेशा रहती हैं, लेकिन ये अच्छे तत्व सचमुच जीवन में आ सकते हैं क्या ? ऐसा जीवन हो सकता है, यह आने वाली पीढ़ियों को जिन्होंने जी कर दिखाया, उनके चरित्र को सामने लाना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें देखकर उस मार्ग पर आगे चलने की हिम्मत हम में जगती है। स्व. दत्ताजी डिडोलकर का जीवन ऐसा ही था।

संघ के प्रचारक और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्व. दत्ता जी डिडोलकर के संस्मरणों को संजोने वाली पुस्तक आधारवाड को लोकार्पित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत ने कहा कि संघ हो या विद्यार्थी परिषद, यह मनुष्य निर्माण करने का कार्य होने के कारण इसमें व्याप्त प्रभाव का लौकिक दृष्टिकोण से जो महत्व है वह तो है ही लेकिन इसका मूल महत्व है कि जीवन कैसे सार्थक एवं विकसित होता है। यह साधारण बात नहीं है, यह उत्साह के कारण नहीं होता, वह घोषणाओं के जोश से नहीं बनता। जीवन का एक-एक क्षण संघर्ष का होता है और उस संघर्ष का दर्द सहते हुए जीवन को सार्थक एवं विकसित करना होता है। अपना जीवन बनाते समय जो दर्द होता है, वह दर्द अपने पास रखकर तथा उसके बाद अपना जीवन सार्थक एवं विकसित होने पर उसकी जो मिठास होती है, उसका जो तेज होता है, जो संस्कार होता है वह दूसरे को देना होता है । यह बहुत मुश्किल कार्य है। बताने के लिए आसान है, लेकिन करना काफी कठिन है।

उन्होंने बताया कि दत्ताजी अपनी साधारण वर्हाडी भाषा (मराठी भाषा जो विदर्भ में बोली जाती है) में मन की बात करते थे तथा साधारण भाषा में छोटी-छोटी बातों का मार्गदर्शन करते थे। लेकिन इसके पीछे की उनकी तपस्या बड़ी थी, उसके पीछे जो दत्ताजी की साहसी वृति है, वह भी बहुत बड़ी थी। अपने काम का स्थाई भाव है शुद्ध सात्विक प्रेम। इसलिए

वह (दत्ता जी) जहाँ गए वहाँ पर बेहतर तरीके से कार्य किया। तमिलनाडु में संघ के प्रचारक बनकर गए। वहाँ प्रांत प्रचारक रहे। तमिलनाडु के कोने-कोने में उन्होंने संघ के स्वयंसेवक खड़े किए। वहाँ की विपरीत परिस्थितियों में भी। यह कार्य उन्होंने तर्क अथवा वाद-विवाद से नहीं अपितु अपनी आत्मीयता से किया। संघ का स्वयंसेवक कह कर कैसे जीना ? दिए गए कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाते समय लोक संग्रह करना होता है, संपर्क में आए हुए लोगों को स्वीकारना और उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करना होता है. और यह सब उपदेश से नहीं, उदाहरण द्वारा करना होता है। यह सब करते समय तन-मन एवं धन लगाकर व्रतस्थ रहकर परिश्रम करना होता है. और जीवन भर ऐसा कार्य करके लोगों के मन पर राज करके 'मैं नहीं तू ही' यह जीवन भर आचरण में लाना होता है।

श्री भागवत ने कहा कि जिस किसी को भी घर के बाहर सामाजिक स्तर पर कार्य करना है, फिर वह ग्रामीण स्तर का हो या विश्व स्तर का हो, उसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ऐसे जीवन के आधार से, समाज में ऐसे लोग अधिक से अधिक खड़े होने चाहिए। हमारा भी जीवन इस तरह का बने, ऐसा चाहने वालों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ गई तो इस ग्रंथ के पीछे जो परिश्रम हुआ है, चाहे वह लिखते समय या प्रकाशन के समय, वह सफल होगा।

कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आम्बेकर सहित बड़ी संख्या में नागपुर नगर के प्रबुद्धजन एकत्रित थे। ■

अभाविप के संघर्षों की हुई जीत, 22 साल बाद हरियाणा में होंगे छात्रसंघ चुनाव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, हरियाणा में छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही थी, छात्र अपनी समस्या को लेकर किसके पास जायेंगे। छात्रों की समस्या को सुनने वाला कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, जो छात्र और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बीच सेतु का काम करें। पिछले 22 सालों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं, हरियाणा सरकार ने हमारी मांगों को मानते हुए राज्य में छात्रसंघ चुनाव करवाने की बात कही है, जो स्वागत योग्य कदम है। ये बातें अभाविप, हरियाणा के प्रदेश मंत्री सुनील भारद्वाज ने कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से छात्रों की प्रत्यक्ष भागीदारी संभव हो पायेगी। छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ने से विश्वविद्यालय के बुनियादी सुविधायों पर चर्चा होगी। अभाविप सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। अभाविप ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद् की जीत होगी। क्योंकि अभाविप एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है जो छात्रों की समस्या का निदान करवाने के लिए परिसर में 365 दिन सक्रिय रहती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपते अभाविप प्रतिनिधिमंडल

गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छात्र संघ चुनाव की तैयारी के लिए प्रदेश भर के सभी एसपी, डीसी को निर्देश दिये हैं, उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में इस वर्ष के सितंबर - अक्टूबर माह में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किये जाये। ■

अभाविप कार्यकर्ताओं पर केरल पुलिस ने बरसाईं लाठियां, सैकड़ों कार्यकर्ता घायल

केरल पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण किये गये लाठीचार्ज के बाद बुरी तरह घायल हुए प्रांत मंत्री श्याम राज को अस्पताल ले जाने के लिए उठाते हुए कार्यकर्ता

केरल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाकर किये जा रहे निर्मम हत्या की निष्पक्ष जांच एनआईए के द्वारा कराये जाने एवं पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) को प्रतिबंधित किये जाने की मांग को लेकर केरल के 14 में से 12 जिलों के जिला मुख्यालय एवं राज्य सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर पानी की बौंछारें बरसाते हुए केरल पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया जिसमें केरल के प्रदेश मंत्री श्याम राज समेत 150 से अधिक कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गये। श्याम राज का सर फट गया एवं उन्हें कई जगह अंदरुनी चोटें भी आई है। बताया जाता है कि करीब दो दर्जन से अधिक अभाविप कार्यकर्ताओं को केरल पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसे बाद में जेल भेज दिया गया है।

विदित हो कि केरल में लंबे समय से संघ या संघ के अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केरल में बढ़ती हिंसा को लेकर अभाविप ने गत वर्ष "चलो केरल" महारैली का आयोजन भी किया था, जिसमें देश भर से पचास हजार कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मानें राष्ट्रीय विचारों की बढ़ती लोकप्रियता एवं शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थी परिषद् की सहभागिता को देखकर वामपंथी संगठन बौखला गये हैं, जिस कारण वे लगातार परिषद् के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। वामपंथी हिंसा में हमने तीन दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को खोया है, हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पीएफआई के द्वारा सुनियोजित तरीके से पूरे राज्य में हिंसा फैलायी जा रही है, पीएफआई देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अगर समय रहते इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकते हैं। ■

पर्वतारोही शिवांगी पाठक को अभाविप ने किया सम्मानित

डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे किसी भी पेशे में और कहीं भी रहो लेकिन दिल में हिन्दुस्तान होना चाहिए। कुछ भी बनने से पहले हमें देशभक्त बनना जरूरी है। सिर्फ अपने बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, अपने करियर के साथ – साथ देश के बारे में सोचने से ही हम सशक्त राष्ट्र बना पायेंगे। देश सशक्त होगा तो हम अपने – आप सशक्त हो जायेंगे। ये बातें ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित पर्वतारोही शिंवांगी पाठक के सम्मान समारोह में कहीं। बता दें कि मात्र 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट का फतह कर शिवांगी ने इतिहास रच दिया है। शिवांगी बेहत समान्य परिवार से संबंध रखती है। परिषद् के द्वारा उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।

समारोह में अपने अनुभव को साझा करते हुए शिवांगी पाठक ने कहा कि मुझे बचपन से सपना था कि अपने देश की शान तिरंगा को विश्व के सर्वोच्च चोटी पर लहरायें। शिवांगी ने बताया कि वह 18 साल की उम्र तक विश्व की सात ऊंची चोटियों का सफर पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची 5700 मीटर चोटी को फतह करने के मिशन में लग जायेगी। अभाविप और कस्तूरी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा शिवांगी को पांच लाख रूपये की आर्थिक मदद की गई, ताकि उनकी कामयाबी में आर्थिक बाध्यता का सामना न करना पड़े।

शिवांगी देश की बेटियों के लिए प्रेरणा – श्रीनिवास

अभाविप के राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि शिवांगी पाठक देश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट का फतह कर इतिहास रचने का काम किया है, शिवांगी ने सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा कर दूसरी बेटियों को भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एक बेटी 18 होने से पहले विश्व की सात सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य बनाए हुए है और उसे आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। अभाविप ऐसे होनहार बेटियों की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देगी, परिषद् के द्वारा हर समय मदद की जायेगी ताकि बेटियां देश का नाम रौशन कर सके। उन्होंने बताया कि परिषद् देश के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए हमेशा तत्पर है। देश की प्रतिभाओं के आगे आर्थिक बाध्यता नहीं आने दी जायेगी।

वहीं अभाविप, हरियाणा के प्रदेश मंत्री सुनील भारद्वाज ने कहा है कि सरकार को चाहिये कि देश की बेटियों को प्रोत्साहित करे। सरकारी उदासीनता के कारण प्रतिभा होने के बावजूद बेटियां आगे नहीं बढ़ पा रही है।

पर्वतारोही शिवांगी पाठक को चेक (पांच लाख का प्रोत्साहन राशि) देकर सम्मानित करते अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास, पहलवान योगेश्वर दत्त व अन्य

अभाविप, ऐसी साहसिक बेटियों के कदमों को रूकने नहीं दिया जायेगा। पैसों के अभाव में कोई बेटी देश का नाम रोशन न कर पाए, ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। श्री भारद्वाज ने बताया कि शिवांगी पाठक ने विद्यार्थी परिषद् की सदस्यता ली है। सम्मान समारोह गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी के चौ.रणबीर सह सभागार में समारोह आयोजित किया गया। इसमें ओलंपियन योगेश्वर दत्त, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास, गुजवि के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार, एबीवीपी के प्रांतीय अध्यक्ष, प्राध्यापक राजेंद्र धीमान, अभाविप के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम सह राजावत, प्रांत मंत्री सुनील भारद्वाज आदि उपस्थित थे। ■

अभाविप के प्रयास का दिखा असर, जीएसटी मुक्त हुआ सेनेटरी नेपकिन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रयासों का असर दिखने लगा है, भारत सरकार द्वारा जारी वक्तव्य में सेनेटरी नेपकिन को जीएसटी से बाहर रखने की बात कही गयी है। बता दें कि सरकार द्वारा सेनेटरी नेपकिन पर जीएसटी लगाने के बाद अभाविप लगातार प्रयासरत थीं कि इसे जीएसटी मुक्त किया है। इस बाबत विद्यार्थी परिषद् के द्वार राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैराथन भी आयोजित की गई थी जिसमें सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भाग लिया था। उन्होंने भी अभाविप की मांगों को समर्थन देकर कहा था कि सिर्फ जीएसटी को जीएसटी मुक्त ही नहीं बल्कि इसका मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थी परिषद् की मांगो को गंभीरता से लेते हुए सेनेटरी पेड को जीएसटी मुक्त किया है, सरकार के इस फैसले से हजारों लड़कियों/महिलाओं/छात्राओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सेनेटरी नैपकिन महिलाओं की बुनियादी जरूरत है इसे सिर्फ जीएसटी मुक्त ही नहीं बल्कि मुफ्त में महिलाओं को देना चाहिए, साथ ही इसके इस्तेमाल के लिए सरकार को चाहिए कि जागरूकता अभियान चलाये। जागरूकता की कमी होने के कारण प्रति वर्ष सैंकड़ों महिलाओं को काल के गाल में समा जाना पड़ता है। अभियान के प्रयास के कारण ही दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिग मशीन लगाई गई है और जिस महाविद्यालय में अभी तक नहीं लगा है वहां पर वेंडिग मशीन लगवाने के लिए अभाविप के कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अगस्त 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम उच्च शिक्षा आयोग

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को समाप्त कर उसकी जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का फैसला किया है। सरकार ने इस फैसले से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने का प्रयास किया है जिससे हम विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आज वैश्विक धरातल पर एक आवश्यकता गुणवत्ता की पड़ गई है उस गुणवत्ता में रैंकिंग भी शामिल है और मूल्यांकन भी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा सोचा है कि उच्च शिक्षा आयोग जो कि विश्व के कई अन्य देशों में है उस प्रकार का एक संस्थान भारत में भी तैयार किया जाए। एक तरफ इसे प्रगतिशील, दूरगामी, प्रभावकारी बताया जा रहा है तो दूसरी ओर इसे प्रतिगामी अदूरदर्शी और राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाला भी बताया जा रहा है।आज देश में प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में हजारों यूनिवर्सिटी अपना कार्य कर रही है लेकिन आज भी उनके स्टैंडर्ड के बारे में हमें नहीं पता। आज भी एक तिहाई विश्वविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने नया मसौदा तैयार किया है जिसके अनुसार वित्त का काम मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) देखेगा तथा निगरानी का काम प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग देखेगा। नया आयोग संस्थानों को शुरू और बंद करने के लिए मानक और नियम तय करेगा और इस आधार पर उन्हें चलाने अथवा बंद करने का आदेश दे सकेगा। निजी क्षेत्र के संस्थानों की मनमानी पर यूजीसी का कोई जोर नहीं था, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि अब नियमों एवं मानकों का जानबूझकर अथवा लगातार उल्लंघन कर रहे स्तरहीन संस्थानों को बंद करने का अधिकार उच्च शिक्षा आयोग के पास होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव लाना क्या जल्दबाज़ी में उठाया गया कदम तो नहीं ? अथवा शैक्षणिक सुधार हेतु सरकार द्वारा सोच समझकर लिया गया फैसला है? इस विषय पर "राष्ट्रीय छात्रशक्ति" के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने देश भर के छात्रों से बात की और उनके विचार को जाने, प्रस्तुत हैं युवाओं के विचार :

सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा नियामक की भूमिका कम होगी, देश में उच्च शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, सभी के लिए सस्ती शिक्षा के मौक़े पैदा होंगे और शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के मुद्दों में हस्तक्षेप भी कम होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके ठीक उलट है। उच्च शिक्षा आयोग के केन्द्रीकरण से शिक्षा का केंद्रीकरण होगा और उच्च शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढेगा। इसके आने से निजी संस्थानों को ज्यादा जगह मिलेगी तथा शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। जब तक नयी शिक्षा नीति लागू नहीं होती तब तक इसका कोई महत्त्व नहीं है। ये एक जबरदस्ती थोपा जाने वाला फैसला है।

— **ज्योत्सना तिवारी,** प्रतियोगी छात्रा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

यूजीसी ग्रांट आवंटन के साथ-साथ विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने व शिक्षण संस्थानों के समन्वय करने, विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और उनको लागू करवाने तथा उच्च शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाने जैसे कई महत्त्वपूर्ण काम कर रहा है। यूजीसी समय-समय पर उन संस्थानों की सूची प्रकाशित करता है जो इन मानकों को पूरा नहीं करते व उनकी मान्यता रद्द करता है। यह सच है कि इन संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास नहीं है। इन संस्थानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए यूजीसी को अधिक शक्तियां दी जा सकती है। आखिर क्या जरूरत थी कि पहले से ही स्थापित एक लोकतांत्रिक आयोग को ख़त्म कर एक नए आयोग की स्थापना की जाये? तर्क यह दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल अनुदान आवंटन का काम करता था और प्रस्तावित आयोग इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए न्यूनतम मानकों को तय करने व उनको लागू करवाने का काम करेगा। यह एक गलत तथ्य है।

— **कौशल किशोर,** प्रतियोगी छात्र, इंदौर, मध्य प्रदेश

नए आयोग के आने से शिक्षा क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान होगी। नवगठित उच्च शिक्षा आयोग देश भर में मौजूद सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शक की भांति कार्य करेगा। राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेपों को समाप्त कर उसकी गुणवत्ता संशोधित और विकसित करने में नया आयोग सार्थक भूमिका निभाएगा। शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिये ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जाना केंद्र सरकार के शिक्षा क्षेत्र में गंभीरता को दर्शाता है। आज के समय में यूजीसी केवल अनुदान का माध्यम मात्र बनकर रह गयी है। इसलिए हमें सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए।

— **प्रकाश नायर,** प्रतियोगी छात्र, वास्को डी गामा, गोवा

मेरे हिसाब से यूजीसी को खत्म करके नए आयोग को ले आना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं है। सरकार को यूजीसी की खामियों को दूर करने का प्रयास करने की जरूरत है ना कि इसे खत्म करने की। शिक्षा जगत के लोगों से राय मशविरा करके इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। यदि नया आयोग आएगा तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप भी अधिक होंगे और फिर स्थिति पहले से भी बदतर हो जाएगी। यदि ऐसा कोई फैसला लेना भी था तो सरकार को एक दो वर्ष पहले ले लेना चाहिए था , अब चुनाव आने को है और यदि इस समय यह मसौदा लागू किया जा रहा है , यदि सरकार बदल गयी तो प्रस्तावित आयोग अपने कार्यों को करने में कितना सफल रहेगा ये देखने वाली बात होगी।

— **हिमानी भट्टाचार्य,** प्रतियोगी छात्रा , कोलकाता , पश्चिम बंगाल

आजकल के शिक्षण संस्थान डिग्री बाँटने के कारखानें बन कर रह गए हैं, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। आज आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थानों में ऊँची गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और उत्कृष्ट शोध हों। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए आयोग को एक सशक्त एजेंसी के रूप में उभरना होगा। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खत्म कर उसकी जगह अधिक सक्षम आयोग बनाने का फैसला तब लिया जा रहा है जब मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में पहुंच गई है, इसलिए यह सुनिश्चित करने में तेजी दिखानी होगी कि सुधार का सिलसिला यथाशीघ्र कायम हो।

— **राकेश सोनकर**, प्रतियोगी छात्र, दिल्ली

परिसर-परिसर परिषद्

दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास

जे.के.नॉर्दन पब्लिक स्कूल, करगिल (जम्मू-कश्मीर) में अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेते विद्यार्थी

अवध प्रांत के अंबेडकरनगर जिला स्थित रतनपुर पीजी महाविद्यालय में सेल्फी लेते कार्यकर्ता

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सुदूर क्षेत्र रिकांग पिओं स्थित माध्यमिक विद्यालय में अभाविप कार्यकर्ता

महाकौशल प्रांत के जबलपुर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में सेल्फी लेते राष्ट्रीय मंत्री ओ. निधीश, साथ में अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में छात्र

मणिपुर के काकचिंग जिले के लैंगमिडॉन्ग के ए.एन.के. एकेडमी में सेल्फी लेतीं छात्रा कार्यकर्ता, साथ में प्रसन्नचित्त मुद्रा में विद्यालय के छात्र-छात्राएं

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 August, 2018
Date of Publishing: 8 August, 2018
Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi